न्यायालय :– सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ओ.ए.डब्लू), ग्वालियर म.प्र.

Registration No.	B.A/1197/2026
Crime No.	186/2026
PS	Purani Chhawni
Filling No.	B.A/8427/2026
CNR No.	MP0701-011724-2026
Date of Institution	18-05-2026

विवेक तोमर पुत्र सुशील तोमर आयु 43 साल व्यवसाय व्यापार निवासी प्रगति विहार कॉलोनी गोले का मंदिर जिला ग्वालियर म.प्र.

——आवेदक/अभियुक्त

//विरूद्ध//

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र पुरानी छावनी जिला ग्वालियर म.प्र.

——अनावेदक/अभियोजन

21.05.2026

आवेदक द्वारा श्री रवि द्विवेदी अधिवक्ता।

राज्य द्वारा श्रीमती मिनी शर्मा, अपर लोक अभियोजक।

फरियादी द्वारा श्री अनूप शिवहरे अधिवक्ता।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा फरियादी/अभियोक्त्री की ओर से प्रस्तुत पेनड्राईव की प्रति प्राप्त की गयी।

आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आवेदन में एवं मौखिक रूप से यह व्यक्त किया है कि यह आवेदक का धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रथम जमानत आवेदन पत्र है। वर्तमान आवेदन के अतिरिक्त समान आशय का अन्य कोई जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में न तो लंबित है और न ही निराकृत हुआ है। उक्त तथ्य के समर्थन में आवेदक के पिता **अभिषेक तोमर** का शपथ पत्र प्रस्तुत है।

माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा स्पेशल लीव अपील क्रमांक 555/2023 रविश कुमार विरूद्ध स्टेट ऑफ बिहार में पारित आदेश दिनांक 15.03.2023 एवं माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ ग्वालियर के **एम.सी.सी. नंबर 8227/2023 दीपक यादव विरूद्ध राज्य मे पारित आदेश दिनांक 01.04.2023 एवं जेबा खान विरूद्ध उ.प्र.**

राज्य निर्णय दिनांक 11.02.2026 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप उपरोक्तानुसार जानकारी जमानत आदेश में उल्लेखित हैः–

	(ए) प्रकरण का विवरण	
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक	0186 / 2026
2	एफआईआर रजिस्ट्रेशन दिनांक	15.05.2026
3	पुलिस आरक्षी केन्द्र का नाम जिला एवं राज्य	पुरानी छावनी जिला ग्वालियर म.प्र.
4	अभियोजित धारा	64(1), 64(2)(एम), 64(2)(एफ) एवं 351(3) बी.एन.एस.
5	अभियोजित अपराध में विहित अधिकतम दण्ड	क्रमशः आजीवन कारावास, और जुर्माना, 07 वर्ष कारावास

	(बी) अभिरक्षा एवं प्रक्रियात्मक अनुपालन	
1	गिरफ्तारी दिनांक	15.05.2026
2	अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि	06 दिवस

	(सी) विचारण की स्थिति	
1	कार्यवाही की अवस्था (विवेचना / अभियोग पत्र / संज्ञान / आरोप विरचना / विचारण)	विवेचनाधीन
2	अभियोग पत्र में दिये गये साक्षियों की संख्या	–
3	अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षियों की संख्या	–

	(डी) पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड			
क्र	थाना	अपराध क्रमांक	धारा	स्थिति(लम्बित / दोषमुक्त / दोषसिद्ध)
1	कोई अपराध दर्ज न होना आवेदक की ओर से दर्शित किया गया है। वहीं केस डायरी के अनुसार भी कोई आपराधिक वृत्त नहीं बताया गया है।			

	(ई) पूर्व में प्रस्तुत जमानत आवेदन	
1	न्यायालय का नाम	–
2	प्रकरण क्रमांक	–
3	प्रकरण का परिणाम	–

	(एफ) बाध्यकारी कार्यवाहियां	
1	क्या कोई गैर जमानती वारण्ट जारी किया गया।	दर्शित नहीं
2	क्या उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया।	दर्शित नहीं

प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक के विरूद्ध पुलिस थाना पुरानी छावनी में मिथ्या आधारों पर अपराध क्रमांक 186/2026 धारा 64(1), 64(2)(एम), 64(2)(एफ) एवं 351(3) बी.एन.एस. के अंतर्गत पंजीबद्ध कर उक्त अपराध में आवेदक को गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जहॉ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। आवेदक द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक का उक्त अपराध से कोई प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष संबंध नहीं है। फरियादिया/पीड़िता 29 वर्षीय शादीशुदा महिला है आवेदक को मिथ्या रूप से प्रकरण में संलिप्त किया गया है। घटना दिनांक 25.10.2025 से 26.12.2025 तक होना बताा गया है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 15.05.2026 को लेख करायी गयी है। आरोपी अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि पीड़िता के पति पर ग्वालियर जिले के पुलिस थाना पुरानी छावनी, बहोड़ापुर, इन्दरगंज, हजीरा, डबरा देहात तथा मुरेना जिले के बामौर, दिमनी, सिविल लाइन तथा पोरसा में कुल 19 आपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं। ऐसी स्थिति में पीड़िता को आपराधिक मामलों की प्रक्रिया का अच्छा ज्ञान है, किन्तु घटना की शिकायत अत्यंत विलम्ब से की गयी है। केवल आवेदक को फंसाने के लिये और उससे पैसे ऐंठने के लिये फरियादिया द्वारा आवेदक को मिथ्या रूप से संलिप्त किया गया है। रूपयों के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया था आवेदक का कोई आपराधिक अतीत नही है। विवेचना पूर्ण हो चुकी है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आवेदक 43 वर्षीय नवयुवक होकर व्यापार कर अपना व परिवार का भरण पोषण करता है। अधिक दिनों तक न्यायिक अभिरक्षा मे रहने से उसके परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जायेगी। आवेदक स्थानीय निवासी है, उसे जमानत का लाभ दिये जाने पर वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित

समस्त शर्तों का पालन करने के लिये तैयार व तत्पर रहेगा। प्रकरण के विचारण व निराकरण में समय लगने की संभावना है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार कर उचित प्रतिभूति पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदन का लिखित जवाब न प्रस्तुत करते हुये मौखिक विरोध किया गया।

अभियोक्त्री की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र लोधी के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति यह है कि आवेदक/अभियुक्त अभियोक्त्री का रिश्ते में जीजा है एवं आवेदक द्वारा अभियोक्त्री को अभियोक्त्री की अंकित द्वारा बनायी गयी वीडियो का भय दिखाकर बलात्कार किया है। पुलिस द्वारा अभियोक्त्री के बताये अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध नहीं की गयी थी एवं अभियोक्त्री को बार–बार आवेदक एवं सहअभियुक्त से राजीनामा कराने के लिये दबाव बनाया जा रहा है। आरोपी को जमानत पर रिहा होने की दशा में स्वतंत्र रूपसे फरियादिया अपनी गवाही न्यायालय के समक्ष अंकित नहीं करा सकेगी। यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह फरियादी एवं उसके परिजन के साथ कोई भी अप्रिय घटना कारित कर सकता है अतः जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

उभय पक्ष के तर्को पर विचार किया गया तथा केस डायरी एवं पुलिस प्रतिवेदन का परिशीलन किया गया।

केस डायरी एवं पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 15.05.2026 को अभियोक्त्री के द्वारा इस आशय की लेखी रिपोर्ट की गयी कि उसके पति एक अपराध में केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध थे, उसी दौरान उसकी उसके पति की जेल में अंकित उर्फ विक्की रावत से दोस्ती हो गयी थी। दिनांक 25.10.2025 को अंकित रावत उसके घर आया और उससे कहा कि पैसों की व्यवस्था हो तो वह उसके पति की जल्दी जमानत करा देगा। तब उसने 2 लाख रूपये अंकित रावत को दे दिये। उस दिन अंकित रावत उसके घर पर ही रूका और रात करीब 1:30 बजे अंकित रावत ने उसके कमरे में आकर जबरदस्ती बलात्कार किया। दिनांक 26.12.2025 को दिन में करीब 3 बजे उसका जीजा विवेक तोमर/आवेदक उसके घर आया और उससे बोला कि उसे यह पता चल गया है कि अंकित रावत ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये हैं, तत्पश्चात उसका जीजा आवेदक/विवेक तोमर ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये और जाते समय उसने उससे कहा कि यदि किसी को यह बात बतायी तो वह उसे बदनाम कर देगा, इस कारण उसने किसी को उक्त बात नहीं बतायी। दिनांक 25.03.2026 को उसके पति जेल से घर वापस आये तो उसने दिनांक 13.05.2026 को घटना बतायी।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 15.05.2026 को आवेदक/अभियुक्त एवं अंकित रावत के विरूद्ध धारा 64(1), 64(2)(एम), 64(2)(एफ) एवं 351(3) बी.एन.एस. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

पीड़िता की ओर से आवेदन पत्र के साथ जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनसे कथित रूप से घटना के संबंध में पीड़िता द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिनांक 07.05.2026 को शिकायत की गयी थी तथा पुलिस ने फरियादी द्वारा बतायी गयी शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख न करने के संबंध में विभिन्न अधिकारियों और मंत्रियों को भेजी गयी शिकायत की प्रतिलिपियां हैं।

केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि विवेचना में अभी केवल अभियोक्त्री के कथन लिये गये हैं। फरियादिया की ओर से प्रस्तुत वीडियो की पेनड्राईव का अवलोकन किया गया, जिसमें केवल पीड़िता का चेहरा दिखायी दे रहा है एवं प्रकरण में फरियादिया के केवल कथन लेखबद्ध हुये हैं। ऐसी स्थिति में अपराध की गंभीरता, प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुये आवेदक/अभियुक्त को प्रतिभूति पर उन्मुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप, आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस., **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ केस डायरी वापिस की जाये।

परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण विहित अवधि में अभिलेखागार में भेजा जावे।

(सिद्धि मिश्रा)
सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश,
विशेष न्यायाधीश (ओ.ए.डब्लू.)
ग्वालियर

प्रतिलिपिः–

थाना प्रभारी, पुलिस थाना पुरानी छावनी जिला ग्वालियर की ओर केस डायरी के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

(सिद्धि मिश्रा)
सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश,
विशेष न्यायाधीश (ओ.ए.डब्लू.)
ग्वालियर